



प्रेषक,

विनोद कुमार,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन

सेवा में,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:-भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में SNA-SPARSH व्यवस्था में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी०एम-अभीम) के अन्तर्गत द्वितीय किशत के रूप में अनुदान संख्या-35 में निर्गत Mother Sanction केन्द्रांश की धनराशि ₹0 14881.00 लाख के सापेक्ष देय राज्यांश ₹0 9920.67 लाख कुल ₹0 24801.67 लाख की शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प०क०/4-बजट/PM-ABHIM/2025-26/4519, दिनांक 23.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान संख्या-35 के पूँजी लेखान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को अवमुक्त केन्द्रांश ₹0 14881.00 लाख (रूपये एक अरब अड़तालिस करोड़ इक्यासी लाख मात्र) के सापेक्ष अनुमन्य/देय राज्यांश ₹0 9920.67 लाख (रूपये निम्नयानबे करोड़ बीस लाख सड़सठ हजार मात्र) सहित कुल धनराशि ₹0 24801.67 लाख (रूपये दो अरब अड़तालिस करोड़ एक लाख सड़सठ हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-35 के पूँजी लेखान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से अवमुक्त करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

- (1) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 यथासंशोधित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (3) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।
- (4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
- (5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही भारत सरकार की प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
- (6) प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में एवं आकड़ों के आंकलन/शुद्धता से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
- (7) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(8) योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन किये जाने का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,48,01,67,000 (रुपये दो अरब अड़तालीस करोड़ एक लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 035 लेखा शीर्षक 4211008000103 प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (के.60 / रा.40- के.+रा.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-387/दस-2025-26, दिनांक 16 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनोद कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-28/2026/365(1)/002-5-9002-099-3-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
- 2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
- 3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
- 4- मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन०एच०एम०, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 9- वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।